

भारतीय शिक्षा आयोग (हण्टर कमीशन)

डॉ रत्नर्तुः मिश्रा
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग,
सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय, कानपुर

गठन

3 जनवरी, 1882

तत्कालीन वायसराय लार्ड रिपन द्वारा

कुल सदस्य संख्या – 20

(सात सदस्य भारतीय)

अध्यक्ष – सर विलियम हण्टर

कार्यक्षेत्र

(मुख्य बल प्राथमिक शिक्षा पर)

1. वुड डिस्पैच द्वारा घोषित शिक्षा नीति की समीक्षा
2. प्राथमिक शिक्षा की स्थिति तथा सुधार की सम्भावनाएँ
3. भारतीय शिक्षा में राजकीय स्कूलों की भूमिका तथा इस सम्बन्ध में सरकारी नीति का निर्धारण
4. भारतीय शिक्षा में मिशनरी स्कूलों की भूमिका तथा इस सम्बन्ध में सरकारी नीति का निर्धारण
5. भारतीय शिक्षा में व्यक्तिगत प्रयासों की भूमिका तथा इस सम्बन्ध में सरकारी नीति का निर्धारण

प्रतिवेदन

मार्च 1883 में 770 पृष्ठ के दस्तावेज
के रूप में प्रस्तुत

अनुशंसाये

वुड के घोषणा पत्र सम्बन्धी सुझाव –

1. प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों (नगरपालिका तथा जिला परिषद) पर
2. माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत संस्थानों पर
3. विभिन्न मदों के लिये अलग—अलग, भेदभाव रहित, उदार सहायता अनुदान प्रणाली

प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव –

प्रशासन एवं वित्त –

- प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, अध्यापकों की नियुक्ति तथा वेतन इत्यादि का दायित्व स्थानीय निकायों पर।
- प्राथमिक शिक्षा कोष का निर्माण किया जाये।
- प्रान्तीय सरकारों द्वारा व्यय ($1/2$ अथवा $1/3$ अनुदान के रूप में)

प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य –

- जन शिक्षा का प्रसार
- व्यावहारिक जीवन की शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम –

- प्रान्तीय भाषा, प्रान्तीय व्यवहार
- व्यावहारिक जीवन की शिक्षा
- व्यावहारिक गणित, विज्ञान, आरोग्य विज्ञान इत्यादि
- स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा

अन्य सुझाव—

- प्राथमिक शिक्षा का माध्यम – प्रान्तीय भाषायें
- शिक्षक–प्रशिक्षण पर बल
- देशी पाठशालाओं को प्रोत्साहन

माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव—

प्रशासन एवं वित्त –

- विद्यालयों की स्थापना, अध्यापकों की नियुक्ति तथा वेतन इत्यादि का दायित्व कुशल तथा धनी व्यक्तियों पर।
- सरकारी स्कूल वहीं खोला जाये जहाँ व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा स्कूल खोलना सम्भव न हो। एक जिले में एक से अधिक सरकारी विद्यालय नहीं खोले जाये।
- सहायता अनुदान में उदारता

माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य –

- सामान्य जीवन की तैयारी
- उच्च शिक्षा में प्रवेश

माध्यमिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम सम्बन्धी सुझाव –

‘अ’ पाठ्यक्रम – साहित्यिक पाठ्यक्रम (उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक)

‘ब’ पाठ्यक्रम – मूलतः व्यावसायिक पाठ्यक्रम (जीवन में प्रवेश हेतु अथवा उच्च व्यावसायिक शिक्षा हेतु आवश्यक)

अन्य सुझाव—

- दोनों पाठ्यक्रमों में अँग्रेजी अनिवार्य
- माध्यमिक शिक्षा का माध्यम – कोई सुझाव नहीं
- शिक्षक–प्रशिक्षण पर बल

उच्च शिक्षा सम्बन्धी सुझाव—

प्रशासन एवं वित्त –

- विद्यालयों की स्थापना, अध्यापकों की नियुक्ति तथा वेतन इत्यादि का दायित्व भारतीयों पर।
- सरकारी महाविद्यालय वहीं खोले जाये जहाँ व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा स्कूल खोलना सम्भव न हो।
- सहायता अनुदान में उदारता

उच्च शिक्षा के उद्देश्य –

- उच्च ज्ञान की प्राप्ति
- नैतिक उत्थान, प्रकृति धर्म तथा मानव धर्म का ज्ञान
- नगरिकों के कर्तव्यों का ज्ञान
- विशेषज्ञों का ज्ञान

उच्च शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम सम्बन्धी सुझाव –

- विस्तृत तथा व्यापक पाठ्यचर्या
- विषय चयन की स्वतन्त्रता
- नैतिक शिक्षा की अनिवार्यता

अन्य सुझाव –

- उच्च शिक्षा का माध्यम – कोई सुझाव नहीं
- प्राध्यापकों की नियुक्ति में यूरोपीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त भारतीयों को वरीयता

स्त्री शिक्षा हेतु सुझाव –

- पृथक् बालिका विद्यालय
- निःशुल्क शिक्षा
- सहायता अनुदान में सरलता
- बालिका छात्रवास की व्यवस्था
- महिला शिक्षिकाओं तथा निरीक्षिकाओं की नियुक्ति पर बल
- बालिका शिक्षा की प्रगति की मॉनीटरिंग

मुस्लिम बच्चों की शिक्षा हेतु सुझाव –

- पृथक् विद्यालय
- भाषा के रूप में हिन्दुस्तानी के साथ फारसी को महत्व
- विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था
- मुस्लिम शिक्षा की प्रगति की मॉनीटरिंग

पिछड़े तथा निम्न जाति के बच्चों की शिक्षा हेतु सुझाव –

- पृथक् विद्यालय
- निःशुल्क शिक्षा
- भेदभाव रहित प्रवेश
- विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था
- पिछड़े तथा निम्न जाति के शिक्षकों की नियुक्ति पर बल

पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा हेतु सुझाव –

- सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था की जाये।
- निःशुल्क शिक्षा
- क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा
- विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था

धार्मिक शिक्षा हेतु सुझाव –

- सरकारी विद्यालयों में धार्मिक तटस्थता की नीति
- गैरसरकारी विद्यालयों में प्रबन्धकों की इच्छानुसार धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था
- सरकारी अनुदान का आधार शैक्षिक उपलब्धि

ईसाई मिशनरियों की भूमिका के सम्बन्ध में सुझाव –

- शिक्षा प्रसार हेतु ईसाई मिशनरियों के स्थान पर भारतीयों के प्रोत्साहन पर बल
- मिशनरी तथा अन्य विद्यालयों में सहायता अनुदान में भेदभाव न किया जाये
- सरकारी अनुदान हेतु समान शर्त लागू की जायें

भारतीय शिक्षा आयोग का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव –

- प्राथमिक विद्यालयों दायित्व स्थानीय निकायों को सौंपा गया।
- माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं का कार्यभार भारतीयों को सौंपा गया।
- सहायता अनुदान प्रणाली को सरल बनाया गया।
- शिक्षा प्रसार हेतु ईसाई मिशनरियों के स्थान पर भारतीयों के प्रोत्साहन दिया गया।

धन्यवाद